

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्रशासनिक भवन,
सेक्टर-6, नौएडा जिला गौतम बुद्ध नगर-201301



NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT

Main Administrative Building

Sector - VI, Noida

Distt. Gautam Budh Nagar - 201301

पत्र संख्या: नौएडा/संस्थागत/2019/ 1851

दिनांक: 30.10.19

वित्त नियंत्रक
नौएडा।

विषय:- Allotment of Institutional Plot No A-107, Sector 153 to M/s Jam Vision Infotech Pvt. Ltd.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक लेखा परीक्षा ज्ञाप संख्या 083 पुस्तक संख्या 0147 दिनांक 14.05.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। उक्त के सम्बन्ध में संस्थागत विभाग की आख्या निम्नानुसार है:-

M/s Jam Vision Infotech Pvt. Ltd. द्वारा OES-2008 योजना के अन्तर्गत 20000 वर्ग मीटर भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन किया गया एवं कार्यालय पत्र दिनांक 28.03.2008 के द्वारा उनके पक्ष में IT Park/BPO परियोजना हेतु 20000 वर्ग मीटर का भूखण्ड संख्या 2/11, सैक्टर- 154 आवंटित किया गया एवं आवंटी द्वारा आवंटन पत्र में वाँछित 30% आवंटन धनराशि निर्धारित अवधि में जमा करा दी गयी। आवंटी ने अपने पत्र दिनांक 05.12.2008 के द्वारा यह अवगत कराते हुये कि सैक्टर- 154 में प्राधिकरण द्वारा निर्माण कार्य नहीं कराया गया है तथा उन्होंने उक्त भूखण्ड के बदले अन्य भूखण्ड दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया। तत्कालीन परियोजना अभियन्ता सी0सी0डी0-1 ने अपने पत्र दिनांक 21.07.2011 के द्वारा अवगत कराया गया कि भूखण्ड संख्या 2/11 पर ग्राम बदोली के निवासियों का अतिक्रमण है। तत्कालीन परियोजना अभियन्ता सी0सी0डी0-5 ने अपने पत्र दिनांक 31.01.2012 के साथ भूखण्ड संख्या ए-107, सैक्टर- 153 का साईट प्लान प्रेषित किया जिसमें क्षेत्रफल केवल 13,320 वर्ग मीटर था। कार्यालय के पत्र दिनांक 27.08.2014 के द्वारा भूखण्ड संख्या ए-107, सैक्टर- 153 की वर्तमान स्थिति एवं साईट प्लान उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया है। मुख्य वास्तुविद नियोजक ने अपने पत्र संख्या नौएडा/मु0वा0नि0/2015/385 दिनांक 21.07.2015 के द्वारा अवगत कराया कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 09.07.2015 के क्रम में भूखण्ड संख्या 2/11, सैक्टर- 154 के स्थान पर सैक्टर- 153 में भूखण्ड संख्या ए-107 में 108, 109, 132, 133 को सम्मिलित करते हुये भूखण्ड संख्या ए-107 जिसका क्षेत्रफल 20000 वर्ग मीटर किया गया है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 29.07.2015 को मूल आवंटित भूखण्ड संख्या 2/11, सैक्टर- 154 के स्थान पर भूखण्ड संख्या ए-107, सैक्टर- 153 का मूल आवंटन की नियम एवं शर्तों को यथावत रखते हुये शुद्धि पत्र जारी किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी एवं कार्यालय पत्र दिनांक 31.07.2015 के द्वारा मूल आवंटित भूखण्ड संख्या 2/11, सैक्टर- 154 के स्थान पर भूखण्ड संख्या ए-107, सैक्टर- 153 क्षेत्रफल 20000 वर्ग मीटर आवंटित किया गया। वर्क सर्किल- 10 विभाग ने अपने पत्र दिनांक 21.06.2017 के साथ भूखण्ड संख्या ए-107, सैक्टर- 153 क्षेत्रफल 20000 वर्ग मीटर का साईट प्लान प्रेषित किया।

प्राधिकरण बोर्ड की 192वी बैठक दिनांक 02.06.2019 में क्रम में जारी कार्यालय आदेश संख्या नौएडा/मु0का0अ0/वि0नि0/2017/1914 दिनांक 16.06.2017 के बिन्दु संख्या 1 को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को शून्य अवधि का लाभ दिए जाने की संस्तुति स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.09.2018 में की गई थी जिसे

तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी के आदेश दिनांक 17.09.2018 के द्वारा अनुमोदित किया गया। अतः लिए गये उक्त निर्णय पर संस्थागत विभाग से कोई आख्या नहीं दी जा सकती।

लेखा परीक्षा ज्ञाप संख्या 83 पुस्तक 147 में M/s Jam Vision Tech Pvt. Ltd. को आवंटित भूखण्ड के सम्बन्ध में CAG सम्परीक्षा दल द्वारा उठाये गये अतिरिक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्थागत विभाग की बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार है:-

1. भूखण्ड आवंटन समिति द्वारा आवंटी के पक्ष में भूखण्ड संख्या 2/11, सैक्टर्स- 154 के आवंटन की संस्तुति की गई कि जिसे तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी के आदेश दिनांक 27.03.2008 के द्वारा अनुमोदित किया गया था। आवंटन के समय भूखण्ड पर कोई विवाद होने का उल्लेख आवंटन समिति की संस्तुति में नहीं किया गया।
2. आवंटित भूखण्ड संख्या 2/11, सैक्टर्स- 154 पर अतिक्रमण होने के कारण वैकल्पिक भूखण्ड संख्या ए-107, सैक्टर्स- 153 आवंटित करने का निर्णय लिया गया सम्बन्धित वर्क सर्किल- 10 की आख्या दिनांक 22.08.2013 के अनुसार आवंटित भूखण्ड के पाकेट पर किसानों द्वारा खेती की जा रही थी जिसके कारण काफी प्रयासों के उपरांत भी वहाँ पर सड़क/नाली का निर्माण नहीं हो पाया था। तत्कालीन सम्बन्धित परियोजना अभियन्ता सी0सी0डी0-5, के पत्र दिनांक 31.05.2012 के साथ भूखण्ड संख्या ए-107, सैक्टर्स- 153 के साईट प्लान की प्रति प्राप्त हुई थी जिसके अनुसार भूखण्ड का वास्तविक क्षेत्रफल 13320 वर्ग मीटर इंगित किया गया था कि "Area may be changed after final execution of roads and drains." वैकल्पिक भूखण्ड संख्या ए-107, सैक्टर्स- 153 का क्षेत्रफल मूल आवंटित क्षेत्रफल से कम होने के कारण तत्समय आवंटी के पक्ष में वैकल्पिक भूखण्ड संख्या ए-107, सैक्टर्स- 153 का आवंटन पत्र जारी नहीं किया जा सका था।

तत्कालीन CAP के पत्र दिनांक 21.07.2015 के द्वारा भूखण्ड संख्या ए-107, सैक्टर्स- 153 में अन्य भूखण्ड संख्या ए-108, 109, 132 एवं 133 को सम्मिलित करते हुये भूखण्ड संख्या ए-107 का क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर किए जाने की सूचना दी।

आवंटी को वैकल्पिक भूखण्ड संख्या ए-107, सैक्टर्स- 153 क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर के आवंटन का शुद्धि पत्र दिनांक 31.07.2015 को जारी किया गया।

3. वर्क सर्किल-10 के पत्रांक नौएडा/प0अ0-व0स0-10/16/845 दिनांक 23.11.2016 के द्वारा भूखण्ड संख्या 2/11, सैक्टर्स- 154 का साईट प्लान प्राप्त हुआ जिसके अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल 10448 वर्ग मीटर है। भूखण्ड पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में उक्त पत्र में कोई सूचना प्राप्त नहीं है।
4. स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.08.2018 में शून्य अवधि का लाभ दिये जाने के आवंटी के अनुरोध पर समिति द्वारा प्रकरण का विस्तृत अध्ययन किया गया। समिति द्वारा मूल आवंटन तिथि 28.03.2008 से वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन के शुद्धि पत्र दिनांक 31.07.2015 के मध्य की अवधि को शून्य लाभ घोषित करने की संस्तुति की गई जिसे तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने आदेश दिनांक 17.09.2018 द्वारा अनुमोदित किया गया।
5. वैकल्पिक आवंटित भूखण्ड संख्या ए-107, सैक्टर्स- 153 के पट्टा प्रलेख निष्पादन हेतु आवंटी को चैक लिस्ट दिनांक 28.05.2019 जारी की गई है।
6. लेखा विभाग के अनुसार भूखण्ड के विरुद्ध किश्त/किश्तों पर ब्याज की धनराशि ₹ 7,13,56,854/- की देयता है।

कृपया उपरोक्त के क्रम में आपत्ति संख्या 83 बुक संख्या 147 निक्षेपित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

30/10/19

(डॉ० संतोष उपाध्याय)
विशेष कार्याधिकारी

4351